

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 18(1)साप्र / 2 / 12

जयपुर, दिनांक : 02.5.2012

—: आदेश :—

श्री करणीदान बारेठ, कनिष्ठ लिपिक, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनकी पंचम श्रेणी की वरिष्ठता संख्या 73/10 एवं सेवानिवृति दिनांक 30.6.2043 के आधार पर उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर इस विभाग के आदेश दिनांक 17.3.11 के द्वारा आवंटित राजकीय आवास संख्या 5/121 गौधीनगर, जयपुर के स्थान पर राजकीय आवास संख्या 5/85 गौधीनगर, जयपुर पूर्व शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता है।

510 (प्राप्त)

A

7-5-2012

20/5  
1/5

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनफूल बैरवा)  
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक / ख-1 विभाग।
4. मुख्यलेखाधिकारी / कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
6. अधिशासी अभियन्ता, साठनिवी / जन स्वाठ अभिवी / जयपुर वीवीनिगम लिंग, गौधीनगर, जयपुर।
7. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गौधीनगर, जयपुर।
8. संबंधित कार्मिकको भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास को 15 दिवस में रिक्त करने का श्रम करें।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
10. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव